

18.10.2024:—पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता  
उपरिस्थित नहीं। प्रार्थी का मूल वाद पत्र अदम  
पैरवी/अदम हाजरी में खारिज हो गया है।  
इसलिए मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी  
होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष  
नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के  
कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा  
212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि  
जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद  
तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

*Handwritten signature*

सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

